संख्या- 5/2018/956/59-2-2017-8(खा)/2017

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 01 फरवरी, 2018

विषय:- खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद को वित्तीय वर्ष 2017-18 में बोर्ड अधिष्ठान मद हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-4753/खा0ग्रा0बो0/लेखा-बजट/2017-18 दिनांक 15 नवम्बर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिष्ठान मदों के खर्चो को वहन करने हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1200.00 लाख (रूपये बारह करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-10/2017/ 205/59-2-2017-8(खा)/2017, दिनांक 25 अप्रैल, 2017 द्वारा निर्गत की जा चुकी है तथा अवशेष अवधि हेतु अवशेष धनराशि रू0 700.00 लाख (रूपये सात करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न फाट के अनुसार अनुदान के रूप में स्वीकृत किये जाने हेतु उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, अधिनियम, 1960 (यथा संशोधित) 1983 की धारा-23 (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा वित्तीय नियमों के अधीन व्यय की जायेगी। धनराशि का कोषागार से आहरण के एकमुश्त न कर मासिक आवश्यकता के अनुसार संलग्न फॅाट के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किया जायेगा। प्रति माह व्यय की गई धनराशि का व्यय-विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 में दो प्रतियों में शासन के खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 तथा सचिव, वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा इस शासनादेश के साथ संलग्न मानक मदों के अनुरूप किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय नियम संग्रह- 5 भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अनुसार निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं अन्य को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद व मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिये भी उपलब्ध रहेगा।

6- आहरण- वितरण अधिकारी प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरतने विषयक शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

7- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-5 के लेखाशीर्ष "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-105-खादी ग्रामोद्योग-03-खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-6-05/दस-2018, दिनांक 19.01.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 5/2018/956(1)/59-2-2017-8(खा)/2017 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7- उप निदेशक, एन0आई0सी0 (प्रशासनिक भवन) ई-फलोर, छठा तल योजना भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 5/2018/956/59-2-2017-8(खा)/2017, दिनांक 01 फरवरी, 2018 का संलग्नक

लेखाशीर्षक

2851-ग्राम तथा लघु उद्योग

105- खादी ग्रामोद्योग

03- खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता

20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) (धनराशि रूपये लाख में)

कोड	मद का नाम	मदवार फाट का विवरण
4	यात्रा भत्ता	21.00
5	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	8.50
45	अवकाश यात्रा भत्ता	3.00
8	कार्यालय व्यय	44.00
9	विद्युत व्यय	28.00
10	जलकर/जल प्रभार	6.00
11	लेखन सामग्री/फार्म छपाई	21.00
12	कार्यालय फर्नीचर उपकरण मरम्मत	21.00
13	टेलीफोन व्यय	21.00
15	गाडी अनुरक्षण एवं पेट्रोल	78.00
16	व्यवासायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	172.00
17	किराया उपशुल्क कर एवं स्वामित्व	42.00
7	मानदेय	8.00
2	मजदूरी	70.00
18	प्रकाशन	7.00
29	अनुरक्षण	18.00
41	भोजन व्यय	7.00
42	अन्य व्यय	3.00
44	प्रशिक्षण व्यय	3.00
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	14.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/स्टेशनरी क्रय	28.00
51	वर्दी व्यय	1.50
49	चिकित्सा सुविधा	75.00
	योग	**700.00**

(रू0 सात करोड़ मात्र)

(सुरेश चन्द्र)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।